

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद
पीतासीन अधिकारी :- बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.

संख्या 129/2022

किस्म :- वाद-पत्र

वापर दिनांक : 16.08.2022

निर्णय दिनांक : 16.03.2026

अनवान

- 1- कमलेश कुमार पिता प्रताप जाति यादव निवासी धनेरिया तहसील रेलमगरा
- 2- मु च्चेनी बेवा प्रताप यादव प्रताप जाति यादव निवासी धनेरिया तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

- 1- राजमल पिता प्रताप जाति यादव निवासी धनेरिया तहसील रेलमगरा
- 2- अनिल पिता पन्नालाल जाति यादव निवासी धनेरिया तहसील रेलमगरा
- 3- सुनील पिता पन्नालाल जाति यादव निवासी धनेरिया तहसील रेलमगरा
- 4- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन आर0टी0ए0

वादी अधिवक्ता- राकेश सनाढ्य

प्रतिवादी अधिवक्ता- मुरलीधर दशोरा

निर्णय

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 का वाद प्रस्तुत कर विवेदन किया कि ग्राम धनेरिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद में स्थित खसरा नम्बर 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, कित्ता 15 कुल रकबा 4.6541 हैक्टर भूमि स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का संयुक्त रूप से खातेदारी होने से कृषि भूमियों पर कृषि करना संभव नहीं आ रहा है तथा उपयोग-उपभोग में भी प्रतिवादी बाधा व रूकावट डालने लग गये हैं। भूमि का विकास करने एवं अपने-अपने हिस्से की भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग-उपभोग में कतिनाईया उत्पन्न होने लगी है। सभी संयुक्त खातेदारों के मध्य आपसी सामंजस्य भी नहीं है। प्रतिवादी वादी को शक्ति के बल पर बेदखल करने पर आमादा है और कहते हैं कि वादी का कोई हिस्सा नहीं है। बिना विधिवत् मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन हुए किसी प्रतिवादीगण को यह अधिकार नहीं है कि वह वादी को बेदखल कर उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचावे।

दिनांक 24.05.2011 को प्रारम्भिक डिक्ली की अनुपालना में तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारन के मध्य राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए पक्षकारन के मध्य विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

संश्लेषित फाईल किया गया। एवं उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त विभाजन योजना पर बहस सुनी गई। प्राप्त विभाजन योजना सहमति जाहीर की गयी। माफिक विभाजन योजना अनुसार प्लॉट डिक्री प्रदान की जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसील से प्राप्त विभाजन योजना का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा राजश्व मण्डल के नियमों के परिपेक्ष में विभाजन किया जाकर ग्राम धनेरिया तहसील रेलमगरा में स्थित खसरा नम्बर 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2655, 2656, 2657, का पक्षकारान के मध्य 2654 आ0चा0 को छोडकर विभाजन किया है जो न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, का स्वीकार किया जाता है एवं पक्षकारान के मध्य गिम्नानुसार विभाजन करने की आज्ञा दी जाती है।

नवीन खातेदार का नाम	आ0न0	रकबा	जमान
अनिल कुमार पुत्र पन्नालाल 1/2 सुनिल कुमार पुत्र पन्नालाल यादव सा.देह खातेदार रहन P.N.B. शाखा फतहनगर हिस्सा सुनिल कुमार पर	2646/1	0.0756	0.10
	2657/1	0.4358	0.30
	2646/4	0.0331	0.25
	2643/3	0.2590	1.45
	2648/1	0.0900	2.36
	2649	0.2833	5.46
	2650	0.4937	10.97
	2644	0.6070	1.88
योग	08	2.2775	23.77
कमलेश पुत्र प्रताप 2/5 राजमल पुत्र प्रताप 2/5 मांगी बाई पुत्री प्रताप 1/15 उर्मिला पुत्री प्रताप 1/15 नागेश्वर पुत्र भेरूलाल 1/60 पुष्पा पुत्री भेरूलाल 1/60 जगलता पुत्री भेरूलाल 1/60 रेणु पुत्री भेरूलाल 1/60 यादव सा.देह खातेदार	2645	0.4937	0.91
	2657/2	0.3736	1.20
	2653	0.0405	1.13
	2655	0.0567	1.58
	2656	0.0405	0.48
	2646/3	0.2211	0.25
	2647/2	0.2712	6.95
	2648/2	0.1933	3.91
	2651	0.2995	8.21
	2652/2	0.2302	6.00
	2643/1	0.0567	0.31
योग	11	2.2770	30.87
अनिलकुमार पुत्र पन्नालाल 1/4 उर्मिला पुत्री प्रताप 1/30 कमलेश पुत्र प्रताप 1/5 जगलता पुत्री भेरूलाल 1/120 नागेश्वर पुत्र भेरूलाल 1/120 पुष्पा पुत्री भेरूलाल 1/120 मांगीबाई पुत्री प्रताप 1/30 रेणु पुत्री भेरूलाल 1/120 राजमल पुत्र प्रताप 1/5 सुनिल कुमार पुत्र पन्नालाल 1/4 जाति यादव सा.देह खातेदार रहन P.N.B. शाखा फतहनगर हिस्सा सुनिल कुमार 1/4 पर	2646/2	0.0182	0.04
	2647/1	0.0364	0.68
	2652/1	0.0126	0.75
	2654	0.0324	आ0चा0
	योग	04	0.0996

सहायक कलेक्टर
अधिकारी

उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारान् के पृथक-पृथक अंकन करने हेतु
यदि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार तहसीलदार रेलमगरा पालना कर रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत
करे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। डिक्री पर्चा अलग से कायम किया जावे।
पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

5
(बिन्दु बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में अन्तिम दिजी (आदेश 26 नियम 6 व 7)
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (सामगुण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला-राजसमंद
 पीटासीन अधिकारी :- श्रीमती विन्दुबाला राजायल आर.ए.एस.

राजसमंद वाद संख्या :- 129/2022

अनदान

वादीका -

- 1- कमलेश कुमार पिता प्रताप जाति यादव निवासी धनेरिया तहसील रेलमगरा
- 2- मुंजु देवी देवी प्रताप यादव प्रताप जाति यादव निवासी धनेरिया तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीका -

- 1- राजमल पिता प्रताप जाति यादव निवासी धनेरिया तहसील रेलमगरा
- 2- अनिल पिता पन्नालाल जाति यादव निवासी धनेरिया तहसील रेलमगरा
- 3- सुनील पिता पन्नालाल जाति यादव निवासी धनेरिया तहसील रेलमगरा
- 4- राजस्थान राज्य जग्गिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

दावा- 53 आर.टी.ए

वादी अधिवक्ता- राकेश सनाइय
 प्रतिवादी अधिवक्ता- मुरलीधर दशोरा

में इस आदेश में दिनांक 16/03/2026 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पत्र होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का दावा अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए का स्वीकार किया जाता है एवं फसलदायक के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

नदीन खालेदार का नाम	आ.नं०	रकबा	लगान
अनिल कुमार पुत्र पन्नालाल 1/2 सुनील कुमार पुत्र	2646/1	0.0756	0.10
पन्नालाल यादव सा.दे.द खालेदार रहन P.N.B. शाखा	2657/1	0.4358	0.30
व्यवहार हिस्सा सुनील कुमार पर	2646/4	0.0331	0.25
	2643/3	0.2590	1.45
	2648/1	0.0900	2.36
	2649	0.2833	5.46
	2650	0.4937	10.97
	2644	0.6070	1.88
योग	08	2.2775	23.77
कमलेश पुत्र प्रताप 2/5 राजमल पुत्र प्रताप 2/5	2645	0.4937	0.91
मंजु देवी पुत्री प्रताप 1/15 उर्मिला पुत्री प्रताप 1/15	2657/2	0.3736	1.20
नारायण पुत्र मेसलाल 1/60 पुष्पा पुत्री मेसलाल	2653	0.0405	1.13
	2655	0.0567	1.58

सहायक कलक्टर
 (सामगुण्ड अधिकारी)
 रेलमगरा

1/60 जगलता पुत्री भेरूलाल 1/60 रेणु पुत्री भेरूलाल 1/60 यादव सा.देह खातेदार	2656 2646 / 3 2647 / 2 2648 / 2 2651 2652 / 2 2643 / 1	0.0405 0.2211 0.2712 0.1933 0.2995 0.2302 0.0567	0.48 0.25 6.95 3.91 8.21 6.00 0.31
योग	11	2.2770	30.87
सुनिलकुमार पुत्र पन्नालाल 1/4 उर्मिला पुत्री प्रताप 1/30 कमलेश पुत्र प्रताप 1/5 जगलता पुत्री भेरूलाल 1/120 नागेश्वर पुत्र भेरूलाल 1/120 पुष्पा पुत्री भेरूलाल 1/120 मांगीबाई पुत्री प्रताप 1/30 रेणु पुत्री भेरूलाल 1/120 राजमल पुत्र प्रताप 1/5 सुनिल कुमार पुत्र पन्नालाल 1/4 जाति यादव सा.देह खातेदार रहन P.N.B. शाखा फतहनगर हिस्सा सुनिल कुमार 1/4 पर	2646 / 2 2647 / 1 2652 / 1 2654	0.0182 0.0364 0.0126 0.0324	0.04 0.68 0.75 आठचाठ
योग	04	0.0996	1.47

उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारान् के पृथक-पृथक अंकन करने हेतु मय विभाजन प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार रेलमगरा पालना कर रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा।

आज दिनांक को 16/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दु बाला राजावल RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, फतहनगर
(उप खण्ड अधिकारी,
रेलमगरा)